

सं./No. 21328/211/बीईएलBEL/एनएएमयूNAMU/17-18  
दि./DT. 18.05.2017

श्री हर्बन सिंह जेसवाल  
Shri Harban Singh Jaswal  
138-सी C, पाकट-ई Pocket – E  
हंसराज समारक स्कूल के सामने  
Opposite Hans Raj Samarak School  
सेकन्ड फ्लोर, दिलशंद गार्डन  
Second floor, Dilshand Garden  
दिल्ली Delhi – 110095

**भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)

पंजीकृत कार्यालय

आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर - 560 045. भारत

**Bharat Electronics Limited**

(A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)

Registered Office

Outer Ring Road, Nagavara

Bangalore - 560 045, INDIA

फोन/Phone : +91(080) 25039267

फैक्स/Fax : +91(080) 25039217

वेब/Web : www.bel-india.com

**विषय:** बीईएल के वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप करते हुए आपके द्वारा प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदन ।

**Sub:** Various representations received from you alleging corruption by Senior Officers of BEL

यह पत्र हमारे द्वारा प्राप्त आपके पत्र/अभ्यावेदन/शिकायत के संदर्भ में है। आपके पत्रों का अवलोकन/जाँच निम्नलिखित अभ्युक्तियों के साथ की गई है-

This has reference to your letters/representations/complaints received by us. Your letters have been perused and examined with following remarks:

- i. **बीईएल में फर्जी/नकली डिग्रीधारक कार्यपालकों की नियुक्ति / पदोन्नति का आरोप:**  
**Allegations of appointment/ promotion of Executives with forged/fake degrees in BEL:**

आपकी शिकायतों के आधार पर, बीईएल कारपोरेट सतर्कता ने उपरोक्त विषय के मामलों की जांच की है और आपको उत्तर दिया जा रहा है कि नियुक्त/पदोन्नत अभ्यर्थियाँ विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं धारित करते हैं, और कारपोरेट सतर्कता पत्र: सं: 21328/0211/BEL/एनएएमयू/14-15 दिनांक: 18 दिसंबर 2014 के अनुसार आपके आरोप निराधार एवं तथ्यरहित हैं ।

Based on your complaints, BEL Corporate Vigilance has examined the cases of the above subject matter and replying to you that the candidates appointed / promoted possess the requisite educational qualifications as per advertisement and that your allegations are unfounded and not based on facts vide Corporate Vigilance Letter: Ref: 21328/0211/BEL/NAMU/14-15 dt: 18<sup>th</sup> December 2014.

- ii. इस विषय का पहले ही, यथोचित रूप से निपटाने के बावजूद, पुनः आप रक्षा उत्पाद विभाग एवं बीईएल अधिकारियों के विरुद्ध सीवीएस/सीबीआई पूछताछ/एफआईआर फाइल शुरू करने के लिए माननीय मंत्रीगण, मंत्रिमंडल सचिवालय, माननीय प्रधान मंत्री और भारत के माननीय राष्ट्रपति से स्वयं संपर्क कर रहे हैं।

Despite wherein the subject has been disposed of previously and duly, again approaching yourself to the Hon'ble Ministers, Cabinet Secretariat, Hon'ble Prime Minister and Hon'ble President of India to initiate CVC / CBI enquiries / file FIR against officials of Department of Defence Production and BEL and also inform of action taken:

यह ध्यान में आया है कि आरटीआई शिकायतों के प्रति आपका दृष्टिकोण बी.ई.एल. के अधिकारियों के प्रति अपमानजनक, गैरजिम्मेदार, प्रतिशोधक और पक्षपातपूर्ण है। सीएमडी, निदेशकों, सीवीओ और रक्षा मंत्रालय अधिकारी, जिनको आप लक्ष्य साध रहे हैं वे कभी भी आपके शिकायतों से संबंधित मुद्दों पर शामिल नहीं थे। यह आपकी तरफ से गंभीर उल्लंघन और दुर्व्यवहार है, जो संस्थान तथा व्यक्तियों के मानहानी के रूप में माना जाएगा।

It is noticed that your approach to RTI complaints is abusive, irresponsible, vindictive and indulgent towards authorities of BEL. The CMD, Directors, CVO and MoD officials whom you are targeting were never been involved and related on the issues of your complaint. It is gross violation and misbehaviour on your part which will be taken up as defamation of institutions and individuals.

- iii. **आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत केंद्र सूचना आयोग द्वारा विनिर्णय:**

**Ruling by the Central Information Commission under RTI Act, 2005:**

यह उल्लेख करना उचित है कि आपकी अभ्यस्त दुर्व्यवहारियों और विवेकपूर्ण व्यक्ति के विपरीत बनना है। केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 29-06-2016 फ़ाइल सं.सीआईसी/ए/सीसी/2014/001185 और 86/एसडी में देखा गया है कि इसी तरह के मुद्दों पर आपने गाजियाबाद इकाई में 148 आरटीआई आवेदन और कॉर्पोरेट में 155 आवेदन किए हैं और यह निष्कर्ष निकाला है कि आप सार्वजनिक प्राधिकार को आरटीआई द्वारा परेशान कर रहे हैं तथा वैयक्तिक प्रतिशोध ले रहे हैं। यह भी ध्यान में आया है कि आपको सीआईसी द्वारा चेतावनी दी गई थी कि "आरटीआई अधिनियमों का दुरुपयोग कर, लाभदायक अधिनियम का उपद्रव देने के लिए साधन बनानेवाले को कानून के अनुसार नियंत्रण किया जाता...अपीलकर्ता बीईएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो किसी लोक हित या इस प्रणाली में पारदर्शिता हेतु सूचना नहीं मांगी है बल्कि उनकी पूर्व संस्थान के अधिकारियों के साथ वैयक्तिक निपटान के लिए मांगी है।

आयोग किसी अपीलकर्ता को आयोग के खिलाफ आरोप अपमानजनक, असंसदीय अभ्युक्तियों करने के लिए अनुमति नहीं देता है।"


It is pertinent to mention that your habitual misbehaviours and mis-fitness to be a sane person. The Central Information Commissioner vide it's decision in File No. CIC/CC/A/2014/001185 and 86/SD dated 29-06-2016 has observed that you have made as many as 148 RTI applications in Ghaziabad unit and 155 applications in Corporate Office of BEL on same and similar grounds and has concluded that you are habitually taking the RTI route for harassing the public authority and also pursuing personal vendetta. It is also noticed that you were cautioned by the CIC "for misusing the provisions of the RTI Act while observing that a beneficial statute when made a tool for mischief and abuse must be checked in accordance with law ...the appellant who is a retired employee of BEL had sought information not for any public interest or to bring any transparency in the system but for settling personal scores with officials of his earlier Organisation. Commission cannot allow any appellant to make insinuating, defamatory and unparliamentarily remarks against the Commission".

- iv. दस्तावेजी साक्ष्य और सीआईसी के विनिर्णय से, यह पाया जाता है कि आपकी शिकायतों में कोई औचित्य और तथ्य नहीं है और आपको सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त उल्लिखित विषयों पर भविष्य में कोई आधारहीन आरोप न करें। यदि आप ऐसे निराधार आरोपों को जारी रखते हैं, तो बीईएल के संबंधित अधिकारियों को आपके प्रति उचित कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

From the examination of documentary evidences and Ruling of CIC, it is observed that there is no sanity and merit in your complaints and you are advised not to make any baseless allegations on the aforementioned subjects in future. In case if you continue to make such unfounded allegations, the concerned authorities of BEL may be advised to take up appropriate legal actions, as deemed fit.

भवदीय/Yours faithfully,

कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  
for **BHARAT ELECTRONICS LIMITED**,



(वी. मोहन कुमार V. Mohan Kumar)

अ.म.प्र. (सतर्कता)/का.ऑ AGM (Vigilance) / CO

बीईएल वेबसाइट में अपलोड किया है।

Uploaded in BEL website